

## आदेश

तिथि  
Feb 2 2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा तिलकरायडीह थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
14	199	0 एकड़, 3.44 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
हाजी अली हुसैन अंसारी	पिता	स्व०-हाजी हबीब मियां
नसीरुद्दीन अंसारी	पिता	स्व०-हाजी हबीब मियां
सिराज अहमद अंसारी	पिता	स्व०- फतेह मोहम्मद
शमसुल हक अंसारी	पिता	स्व०- फतेह मोहम्मद

हैं जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3863 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
इसुक मियां मकबुल मियां वो सेरात मियां वो अब्दुल जलिल मियां	पिता	नेवाजी मियां
कुरवान अंसारी वो मुसलीम अंसारी वो रामजान अंसारी वो राजाक अंसारी	पिता	हजरत मियां
वो. मु. दुलाली बीबी	पिता	हाजरात मियां
सहीदन बिबि वो आल्ही बीबी	पिता	हाजरात मियां
मु. अमीना बीबी	पिता	सेरात मियां
राहमन मियां वो राम जान मियां वो रफीक मियां	पिता	रसल्ली मियां
खेवाली मियां	पिता	सुफल मियां
फाते महमूद अंसारी वो अली हुसैन अंसारी वो नासीर अंसारी	पिता	हबीब मियां
सिली बीबी वो हमीदान बीबी	पिता	हबीब मियां
महमूद हुसैन अंसारी	पिता	जुमाय मियां
सालीमन बीबी	पिता	जुमाय मियां

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **10 रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
BANDANA BHARTI  
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

